

**बीज अनुज्ञप्ति में सुधार/संशोधन/प्रविष्टि हेतु
जाँच पत्र**

बीज (नियंत्रण) 1983 की धारा 17 के अनुसार बीजों के विक्रय, निर्यात या आयात हेतु बीज अनुज्ञप्ति में सुधार/संशोधन/ प्रविष्टि की शर्तें-

Online बीज अनुज्ञप्ति में सुधार/संशोधन/ प्रविष्टि हेतु आवेदन समर्पित करने हेतु आवश्यक कागजात का विवरण	पृष्ठ सं०	स्थिति
<p>1.बीज अनुज्ञप्ति में सुधार/संशोधन/प्रविष्टि हेतु आवेदन Online उपलब्ध प्रपत्र मे सभी आवश्यक सूचनाओ को अंकित करना अनिवार्य है।</p> <p>2.सुधार हेतु कागजात:-</p> <p>(क) सुधार से संबंधित सूचना (ख) 10 रूपये का कोषागार चालान (ग) सुधार से संबंधित साक्ष्य</p> <p>3. संशोधन हेतु आवश्यक कागजात:-</p> <p>संशोधन के प्रकार गोदाम केन्द्र/बिक्री केन्द्र/ऑथराइजेशन/प्रतिष्ठान के नाम मे संशोधन/प्रभेद के नाम में संशोधन</p> <p>(क) संशोधन से संबंधित सूचना (ख) 10 रूपये का कोषागार चालान (ग) संशोधन से संबंधित साक्ष्य</p> <p>4. प्रविष्टि हेतु आवश्यक कागजात:-</p> <p>प्रविष्टि के प्रकार बीज प्रभेद की प्रविष्टि/अतिरिक्त स्थायी गोदाम की प्रविष्टि /अस्थायी गोदाम की प्रविष्टि</p> <p>(क) प्रविष्टि से संबंधित सूचना (ख) 10 रूपये का कोषागार चालान (ग) प्रविष्टि से संबंधित साक्ष्य:-</p> <p>(i) बीज प्रविष्टि हेतु राज्य के लिए अधिसूचित बीजो के अलावे अन्य बीजों/स्वयं के विकसित बीज प्रभेद के व्यवसाय हेतु R&D प्रमाण पत्र के साथ प्रभेदवार उपयुक्तता प्रमाण पत्र राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों/सक्षम संस्थान से कराये गये तीन वर्ष का Trial Report संलग्न करना अनिवार्य होगा।</p> <p>(ii) गोदाम प्रविष्टि हेतु किरायानामा की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।</p>		